न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2024 (डूंगरपुर डिकी)

शंकर पिता नाथू कलाल, निवासी पिण्डावल, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मेंतु कंवर पत्नी केसरसिंह राजपूत, निवासी पचलासा बड़ा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी
उपखण्ड अधिकारी, साबला दिनांक
31.07.2024, प्रकरण सं. 09/2022

---/---

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

उपस्थित :– 1. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक रे. सं. 1

---::---

निर्णय **दिनांक 09–09–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पिण्डावल में खाता संख्या 609 की आराजी नंबर 2177, 7471 से 7473, 7475 से 7480, 7482, 7484 से 7487 कुल किता 16 रकबा 1.9418 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीया का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। वादीया ने 2/3 हिस्सा पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 08–09–2022 से धूला, भूपेश, गीता, दीपिका, धर्मिष्ठा व कुसुम से कय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। भूमि संयुक्त रूप से दर्ज होने से कृषि कार्य में समस्या [illegible] रही है। अतः पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि का [illegible] किया जाकर खाते अलग–अलग किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं प.रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वादीया को मौके पर विक्रेता द्वारा कब्जा सिपुर्द नहीं किया गया है। विवादित भूमि पर कब्जा प्रतिवादी का है। धूलजी के कोई मर्द संतान नहीं होने से कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को सिपुर्द किया था, तब से प्रतिवादी संख्या 1 काबिज चला आ रहा है। अतः वादीया का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 31–07–2024 से वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–10–2024 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेष भण्डारी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा कभी भी सहमति नहीं दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम नहीं की गयी तथा मात्र एक लाईन में रेस्पोडेन्ट/वादीया का वाद डिक्री कर दिया, जो न्याय व विधि के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को तनकियों का गठन कर निर्णय पारित करना चाहिए था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमिधारी तहसीलदार की सहमति के आधार पर बिना तनकियों का गठन किये बंटवारे का वाद डिक्री कर दिया, जबकि सहखातेदारों के मध्य किसी प्रकार की सहमति नहीं थी। ऐसी स्थिति में मात्र प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 31–07–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम कर, कायम शुदा तनकियों पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 06–11–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09–09–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

9.9.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested